

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4 (ई) सेवा.नि./अलेसे-III/ 3314 - 3328

दिनांक :- 12-5-2014

कार्यालय आदेश संख्या 427/2014-15

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1 (6) एफडी/रूल्स/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकारों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 7 में अंकित दिनांक से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्व श्री	मेरिट संख्या	लिंग नम्बर	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय/ विभाग	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	अशोक कुमार मिश्रा	480/88	4847	उपकोषाधिकारी, पेंशन, उदयपुर	13.12.1954	31.12.2014
2	उरजाराम	68/92 स्पे.	5836	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, मारवाड़ जं. (पाली)	19.01.1955	31.01.2015
3	राजेन्द्र खत्री	385/94	2603	अतिरिक्त कलक्टर एवं सचिव, मण्डी विकास समिति, सीएडी, बीकानेर	07.02.1955	28.02.2015
4	नौनीहाल गुप्ता	157/85	2098	कोषाधिकारी, कोटा	09.05.1955	31.05.2015
5	रविन्द्र कुमार यादव	122/92 आर	2382	स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, बीकानेर	15.06.1955	30.06.2015

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकारों के विरुद्ध वर्तमान में इस निदेशालय में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

दिनांक :- 12-5-2014

क्रमांक :- एफ.4 (ई) सेवा.नि./अलेसे-III/ 3314 - 3328
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर/बीकानेर/ कोटा/उदयपुर।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर निवेदन है कि सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच प्रस्तावित हो तथा ऐसी कोई शिकायत हो, जो पेंशन को प्रभावित करती हो तो अविलम्ब इसकी सूचना पेंशन कार्यालय व इस विभाग को भिजवावे ताकि यथासमय उचित कार्रवाई की जा सके।
4. श्री, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय ।
5. संयुक्त निदेशक (विधि/जांच)।
6. निजी सहायक निदेशक महोदया।
7. गोपनीय शाखा/डीपीसी शाखा/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट हेतु)।
8. निजी/गार्ड फाईल।


(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)